संख्या-21 /2019-1029/58-2019-182/2016

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उद्यान अनुभाग लखनऊ:दिनांक: 28 मई, 2019

विषय :- वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 की पौधशालाओं से पौधे क्रय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि प्रदेश में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने, वातावरण को दूषित होने से बचाने, मृदा एवं जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। आगामी खरीफ मौसम में मानसून के आगमन एवं वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होते ही विभिन्न शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत पौध रोपण हेतु गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की आवश्यकता होगी। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की राजकीय पौधशालाओं में उत्पादित गुणवत्तायुक्त फलदार कलमी पौधों के साथ-साथ फलदार बीजू एवं शोभाकार पौधे पर्याप्त संख्या में विक्रय योग्य उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग जनमानस द्वारा बाग रोपण एवं विभिन्न विभागों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रमों में किया जा सकता है। वर्तमान उपलब्धता के अनुसार उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की राजकीय उत्पादन इकाईयों पर लगभग 42.827 लाख विभिन्न प्रजाति के फलदार कलमी/बीजू पौधे उपलब्ध हैं तथा 1.00 करोड़ विभिन्न प्रजाति के वनीय पौधे भी तैयार किये जा रहे हैं। फलदार प्रजाति के पौधे उद्यान विभाग की दरों पर तथा वनीय प्रजाति के पौधे वन विभाग की दरों पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

2- महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना, मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना तथा मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना" के अन्तर्गत कृषक की निजी भूमि पर वृक्षारोपण के निर्देश निर्गत किये गये हैं। योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर वृक्षारोपण हेतु विभिन्न फलदार कलमी पौधों की मांग होगी। जिसकी आपूर्ति विभागीय पौधशालाओं में उपलब्ध पौधों से ससमय कर ली जाय ताकि पौधों के उठान को गति प्रदान की जा सके।

3- इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न शासकीय योजनाओं/वृक्षारोपण कार्यक्रमों में प्राथमिकता पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 की राजकीय उत्पादन इकाईयों पर उत्पादित गुणवत्तायुक्त पौधों की आपूर्ति प्राप्त की जाय। विभाग की पौधशालाओं में अनुपलब्धता की स्थिति में एवं संबंधित जिला उद्यान अधिकारी के द्वारा इस आशय के प्रमाण-पत्र कि विभाग की पौधशालाओं पर वांछित पौधों की उपलब्धता नहीं है, के उपरान्त ही अन्य श्रोतों से पौधों की व्यवस्था किये जाने पर विचार किया जाय। इस संबंध में अपने स्तर से भी संबंधित को सम्यक रूप से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या-21/2019-1029(1)/58-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(2) प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तर प्रदेश, अरण्य भवन, लखनऊ।
(3) निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
(4) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

http://sasanadesh.up.nic.in

(5) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

(6) समस्त उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।

(7) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

(8) समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उ0प्र0।

(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in